भारतीय प्राइवेसी कोड : 2018 (सारांश)

यह कोड #SaveOurPrivacy की सार्वजनिक पहल का एक आउटपुट है, जिसका उद्देश्य निजता (प्राइवेसी), डाटा संरक्षण, हस्तक्षेप (इंटरसेप्शन) और निगरानी (सर्विलांस) पर एक मॉडल ड्राफ्ट कानून देना है. इस पहल का उद्देश्य इन मुद्दों पर चर्चा कर आम जनता के बीच जानकारी और जागरूकता पैदा करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को ऐसा डाटा संरक्षण कानून मिले जो एक आम नागरिक के निजता के मूलभूत अधिकार की रक्षा करे.

देश की संसद में हाल ही में आधार, कैम्ब्रिज एनालिटिका और निजता के अधिकार पर हुई बहसों और निजता तथा डाटा संरक्षण के प्रति बढ़ी वैश्विक जागरूकता के मद्देनजर, उपयोगकर्ता के अधिकारों के लिए आवश्यक डाटा संरक्षण कानून की आवश्यकता अब अपने चरम पर पहुंच गई है.

इस सार्वजनिक पहल में, देश के नागरिक भी इस कोड पर/को अपना समर्थन दे सकते हैं/या कोड पर अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रिया जोड़ सकते हैं.

इस क्रम में एक आम नागरिक के डाटा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव लाया गया है. इस प्रस्ताव के बुनियादी मूल्य 7 प्रमुख सिद्धांतों में है, जिन्हें दुनिया भर में मौजूद सबसे बेहतर कार्यप्रणालियों पर कठोर बहस के बाद भारत के लिए विकसित किया गया था. आगे इन्हीं प्रमुख सिद्धांतों की रौशनी में इस कोड के प्रावधानों की व्याख्या की गई है, जो निम्न हैं :

प्रमुख सिद्धांत

व्यक्तिगत अधिकार ही निजता और डाटा संरक्षण के केंद्र में है

निजता के लिए बने कानून को आम आदमी को सशक्त बनाने वाला तथा उसके निजता के अधिकार को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति तथा उसके निजता का अधिकार प्राथमिक है. यह कोड इस सिद्धांत को निम्न तरीकों से आगे बढ़ाता है :

- यह कोड इस आधार पर बना है कि निजता एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत डाटा को उचित और कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए.
- यह व्यक्तिगत डाटा नियंत्रण में नए बदलावों को उपयोगकर्ता के भरोसे के नजरिए से देखता है, जहां यह डाटा संग्रहकर्ताओं और प्रोसेसर के लिए ढांचों का निर्माण कर स्थायी तरीके से आगे बढ़ेगा.
- यह कोड आम नागरिक को उनके डाटा से जुड़े कुछ अधिकार देता है :
    - पहुंच का अधिकार - किसी व्यक्ति को इस जानकारी का अधिकार है कि उनसे जुड़ी किस तरह की जानकारी को संरक्षित किया गया है, और उसे कैसे नियंत्रित किया गया है.
    - सुधार का अधिकार - किसी व्यक्ति को उनके बारे में एकत्रित डाटा को बदलने और उसमें सुधार करने का अधिकार होना चाहिए.
    - व्यक्तिगत डेटा को मिटाने और नष्ट करने का अधिकार - आम व्यक्ति किसी भी वक़्त अपने व्यक्तिगत डाटा को मिटाने का अनुरोध कर सकते हैं
    - डाटा प्रोसेस करने से रोकने का अधिकार - एक व्यक्ति को अपने डाटा को आगे प्रोसेस होने से रोकने का अधिकार होना चाहिए.
    - आपत्ति का अधिकार - व्यक्ति किसी विशेष तरीके से अपने डाटा की प्रोसेसिंग पर आपत्ति कर सकते हैं.
    - व्यक्तिगत डाटा की पोर्टेबिलिटी का अधिकार - एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा को प्राप्त करने या इसे किसी दूसरे डाटा संग्रहकर्ता को स्थानांतरित किए जाने की मांग करने का अधिकार होना चाहिए.
    - स्वचालित निर्णय प्रक्रिया से छूट का अधिकार - एक व्यक्ति को उसके डाटा के आधार पर किए गए किसी

भी मशीनी निर्णय प्रक्रिया से अलग होने/छूट प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए. जैसे - उसकी प्रोफाइलिंग.

- अगर किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित किया गया और इस क्रम में इस अधिनियम, जो निजता की रक्षा करता है, का पालन नहीं किया जाता है, तो वह कसूरवार इस अधिनियम के माध्यम से बनाए गए निजता आयोगों और निगरानी ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा. इस तरीके के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती माना जाएगा, जिसके लिए आरोपी को ₹ 10 करोड़ का जुर्माना और पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

डाटा की निजता के कानून निजता के सिद्धांतों पर ही आधारित होने चाहिए

जस्टिस एपी शाह की विशेषज्ञ कमिटी द्वारा निश्चित किए गए उपयोगकर्ता के अधिकार एक आदर्श डाटा संरक्षण कानून के लिए आवश्यक हैं. दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डाटा संरक्षण नीतियों को ध्यान में रखते हुए, उपयोगकर्ता के अधिकारों के लिए इस कानून में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

- किसी भी व्यक्ति का डाटा बिना उसकी स्पष्ट सहमति और निम्न बातों की जानकारी बिना किसी शुल्क के दिए एकत्र नहीं किया जा सकता :
    - डाटा कब एकत्र किया जाएगा,
    - डाटा संग्रह का उद्देश्य,
    - इसके प्रयोग,
    - इसे किसके साथ साझा किया जाएगा,
    - इसे कब तक संरक्षित किया जाएगा तथा इस डाटा की रक्षा से जुड़ी विधियां और निजता की शर्तें,
    - इस डाटा को नष्ट करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके तथा नागरिकों को उपलब्ध सुरक्षा उपाय,
- आम आदमी के डाटा का बिना उसकी सहमति के इस्तेमाल केवल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा. साथ ही इस सहमति के नियमों के अपवाद कभी भी नियम नहीं बन सकते.
- इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले एकत्र किए गए सभी प्रकार के डाटा को 2 साल के भीतर नष्ट कर दिया

जाएगा, अगर इस कानून में वर्णित तरीकों से उपयोगकर्ता की अनिवार्य सहमति प्राप्त नहीं की जाती है.

- किसी व्यक्ति का डाटा केवल उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए इसे एकत्र/साझा किया गया है. इस उद्देश्य को पूरा करने के बाद, उस डाटा को अवश्य ही नष्ट या अनामित कर देना चाहिए
- बायोमेट्रिक डेटा, डीएनए डेटा, यौन पसंदों, मेडिकल हिस्ट्री तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, राजनीतिक संबद्धता, वित्तीय / क्रेडिट डाटा और राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठनों की सदस्यता जैसे संवेदनशील डाटा को बिना सहमति एकत्र नहीं किया जा सकता या जरूरी वक़्त से ज्यादा समय तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता है

निजता के सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक मजबूत निजता आयोग का गठन अतिआवश्यक है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए गए डाटा संरक्षण अधिकारों को बरकरार रखा गया है, यह कोड एक निजता आयोग के गठन की बात करता है, जो उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को बनाए रखेगा और ऐसे नियम बनाएगा, ताकि इस कानून को तकनीकी विकास और बदलते वक़्त की जरूरतों के लिहाज से अपडेट रखा जा सके. निजता आयोग के प्रमुख प्रावधान हैं :

- निजता आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो डाटा और निजता के उल्लंघन के मामलों की जांच कर, और उनमें निर्णय देकर किसी व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा कर सकता है.
- इसकी शक्तियां एक सिविल कोर्ट के समान होंगी. इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग दंड लगा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है.
- यह आयोग विशेषज्ञों और आम जनता से परामर्श करने के बाद, डाटा संरक्षण के लिए नए नियम और अधिनियम बना सकता है.
- देश के हर राज्य में एक निजता आयोग तथा एक केंद्रीय निजता आयोग का गठन होगा. केंद्रीय निजता आयोग, दो राज्य के निजता आयोगों के बीच के मामलों और सीमा पार डाटा प्रवाह के विवादों का सामना करेगा, जबकि राज्य निजता आयोग, राज्य के भीतर डाटा के दुरुपयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करेगा.
- निजता आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा भारतीय संसद की एक तदर्थ समिति द्वारा की जाएगी.

सरकार को उपयोगकर्ता के निजता का सम्मान करना चाहिए

भारत की सबसे शक्तिशाली और देश के नागरिकों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाली, संस्था के तौर पर, देश की सरकार को एक आम नागरिक के निजता की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए. इसके लिए, यह कोड कहता है :

- देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिकार, चिकित्सा देखभाल के प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा लाभ, MNREGA के तहत रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य सेवा से, किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, अगर वो पहचान के लिए या उस सेवा को पाने के लिए अपने डाटा के उपयोग की सहमति नहीं देना चाहता है, साथ ही सेवा प्रदता को उस नागरिक से कोई भी वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकार करना ही होगा.
- अगर किसी व्यक्ति को इन वजहों से किसी सेवा से वंचित किया जाता है, तो वो हर्जाना पाने के हकदार होंगे. यदि उस व्यक्ति के पास पहचान का एक वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध है, और फिर भी सेवाओं से वंचित किया गया है, तो उस व्यक्ति को उदाहरणात्मक हर्जाना दिया जाएगा.
- यह कानून देश की किसी भी सरकार या संस्था द्वारा जन निगरानी (मास सर्विलांस) पर पूर्ण रोक की मांग करता है, क्योंकि जनकल्याणकारी योजनाओं के वितरण या राज्य के अंदर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जन निगरानी (मास सर्विलांस) की कोई आवश्यकता नहीं है.

पूर्ण निजता कानून निगरानी सुधार के साथ आता है

अंधाधुंध निगरानी और इंटरसेप्शन (हस्तक्षेप) कानून के दायरे में होना जरूरी है. इस तरह की निगरानी और हस्तक्षेप को रोकने और नियंत्रित करने के लिए यह कानून निम्न बातें कहता है :

- कोई भी निजी इकाई अपनी संपत्ति को छोड़ किसी भी तरह की निगरानी प्रक्रिया में संलग्न नहीं हो सकती है.
- यह कानून एक निगरानी और इंटरसेप्शन समीक्षा ट्रिब्यूनल के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है. इस ट्रिब्यूनल में प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत 2 या अधिक न्यायाधीश शामिल होंगे. यह ट्रिब्यूनल उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सार्वजनिक वकील भी नियुक्त करेगा, जिनकी गलत तरीके से निगरानी की गई है.
- इस कानून के लागू होने के बाद, किसी भी अन्य कानून के बावजूद, निगरानी और इंटरसेप्शन समीक्षा ट्रिब्यूनल की लिखित अनुमति के बिना किसी प्राधिकारी द्वारा किसी नागरिक की निगरानी या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता
- अनुमति के बिना किए गए किसी भी निगरानी को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा.
- निगरानी या हस्तक्षेप के लिए कोई भी आदेश 60 दिनों से अधिक समय तक मान्य नहीं होगा (लेकिन कोई विशेष परिस्थिति होने पर इसे विस्तारित किया जा सकता है), निगरानी के दौरान एकत्र किए गए सभी डाटा को निगरानी समाप्त होने के 180 दिन बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अगर इसका उपयोग आगे अदालत में न किया जाना हो या देश की सुरक्षा को कोई खतरा न हो.
- किसी व्यक्ति के खिलाफ हुई निगरानी के बारे में उसे सूचित किया जाएगा, यदि निगरानी पूरी होने के बाद निगरानीकर्ता प्राधिकरण ट्रिब्यूनल को यह साबित नहीं कर पाता है कि इस सूचना को साझा नहीं किया जाना क्यों जरूरी है.

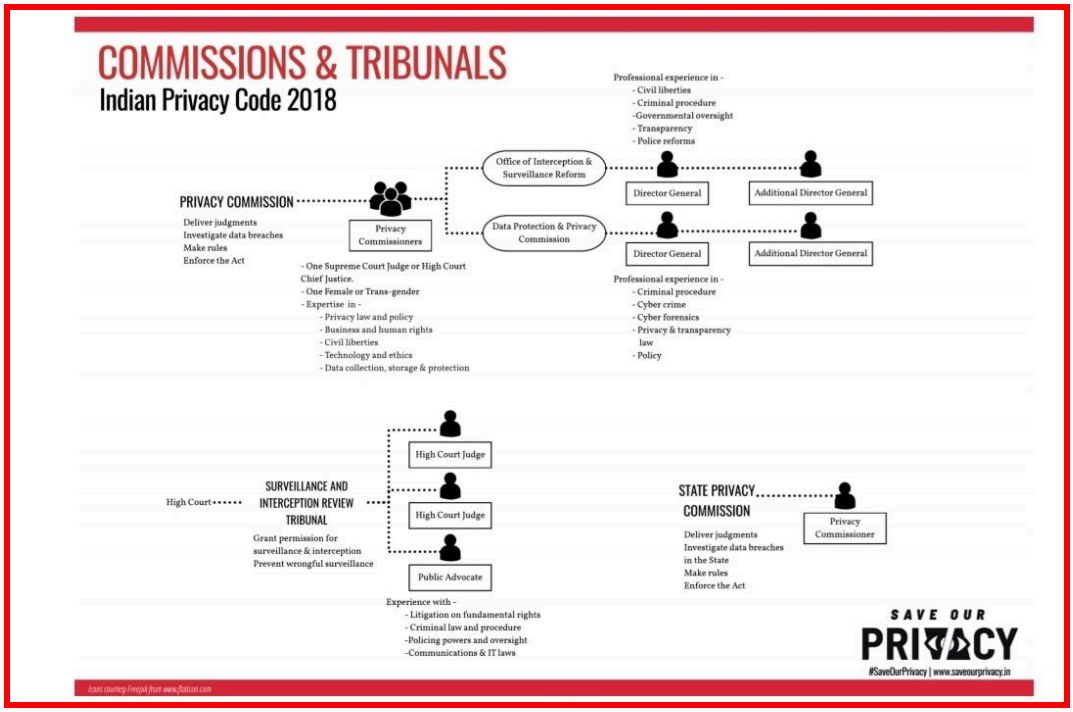

सूचना के अधिकार का संरक्षण और सुदृढीकरण आवश्यक है

निजता की सुरक्षा कहीं से भी सूचना के अधिकार कानून, जो सरकारी कार्यप्रणाली में उत्तरदायित्व लाती है, के साथ टकराव नहीं है. सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो पहले ही निजता संरक्षण के तत्व मौजूद हैं, उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है. यह कोड सूचना के अधिकार के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय करता है :

- निजता के अधिकार का उपयोग सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों को रोकने के लिए नहीं किया जाएगा.
- राज्य और केंद्रीय निजता आयोगों के लिए चयन समितियों की कार्यवाही का उसी तरह व्यापक प्रसार किया जाएगा, जैसा कि सूचना का अधिकार कानून की मंशा है.

- भारतीय निजता संहिता में वर्णित कोई भी बात सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों को रद्द (ओवरराइड) नहीं कर सकती है.

खुले इंटरनेट उपयोग को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और समानीकरण होना चाहिए

यह कोड किसी भी तरह से इंटरनेट के उपयोग को रोकने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन भारत के उन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में संतुलन बनाना चाहता है जिनका डाटा भारत में सेवा देने वाली वैश्विक संस्थाओं द्वारा एकत्र किया जाता है. इंटरनेट के ग्लोबल कैरेक्टर को संरक्षित करने की मांग करते हुए यह भारतीय उपयोगकर्ताओं के डाटा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है. इसके लिए, यह कोड निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तुत करता है :

- डाटा को भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि केंद्र सरकार और केंद्रीय निजता आयोग यह सुनिश्चित करते हुए निर्णय लेते हैं कि जिस बाहरी देश में डाटा को एकत्र या संग्रहीत किया जा रहा है, वहां भारतीय मानकों को पूरा करने वाले पर्याप्त डाटा संरक्षण मानदंड हैं.